न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 289/08 दायरा दिनांक :—18.09.2008 निर्णय दिनांक :— 03.03.2021

1. रामप्रसाद पुत्र दाताराम पौत्र भूरिया
2. सूरजभान पुत्र दाताराम (मृतक)
   2/1 कैलाश पुत्र सूरजभान
   2/2 फूलपति पुत्री सूरजभान
   2/3 रेशमी पुत्री सूरजभान
   2/4 विमला पुत्री सूरजभान
   2/5 सैती पुत्री सूरजभान
   2/6 संतोष पुत्री सूरजभान
   2/7 रेशमी पत्नी रघुवीर
   2/8 राजवीर पुत्र रघुवीर
   2/9 सुमन पुत्री रघुवीर
   2/10 सुशीला पुत्री रघुवीर
   2/11 बीना पुत्री रघुवीर
3. राधाकिशन (मृतक)
   3/1 बाबूलाल
   3/2 रामसिंह
   3/3 गजराज पुत्रान राधाकिशन
   3/4 चम्पा पत्नी राधाकिशन जाति अहीरान निवासीयान माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र देवीसिह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तहसील मुण्डावा जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हु० इ० स्थायी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

२५६
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दिनांक :— 03.03.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आ0ख0न0 32/0.25, 33/0.25, 34/0.25, है0 वाके ग्राम पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर साबिक ख0न0 8 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा से पैमूद किये गये है तथा विवादित आराजी देवीसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह की आराजी थी। देवीसिंह को घर खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने हेतु विवादित आराजी को दिनांक 29.06.1953 अर्थात संवत 2009 में मिन वादीगण के पिता भूरिया के पक्ष में 800 रुपये में रहन रखी थी। वक्त रहन से मिन वादीगण के पिता भूरिया काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा फौत होने के बाद मिन वादीगण बहिस्से बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी विवादित आराजी पर वास्तविक काबिज काश्त है। रहन का इन्तकाल जल से आम में मिनवादीगण के पिता भूरिया के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है तथा दिनांक 26.09.1953 से आज तक प्रतिवादी संख्या 1 व उनके बुजुर्ग देवीसिंह का कभी कोई लेना देना नहीं रहा ना ही है ना ही कभी देवीसिंह ने काश्त ही की। राजस्व रिकॉर्ड मे देवीसिंह के नाम का अंकन खिलाफ कानून व मौका गलत चला आ रहा है। मिनवादीगण का पिता भूरिया राज0 काश्त0 अधिनियम लागू होने के दिन व पूर्व से तथा राज0 विश्वेदारी उन्मूलन लागू होने के दिन व पूर्व से काबिजकाश्त करते चले आ रहे है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार हासिल नहीं होते है इसलिए मिन वादीगण उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन से खातेदारी हक हासिल हो चुके हैं। आदि—आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर उपरोक्त विवादित आराजीयात के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम कलमजन किया जाकर मिन वादीगण के नाम खातेदारी का अंकन किया जावे एवम हु0ई0 दवामी इस अमर से सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा ना करे। आदि—आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादपत्र के जिमनो को अस्वीकार करते हुये अपना जवाब दावा पेश किया जिसका सारतः रहा कि ना तो प्रतिवादी संख्या 1 ने व उसके पूर्वजों ने कभी रहन रखी एवम ना ही वादी को कोई अधिकार पैदा होता है। अगर आराजी रहन रखी गयी थी तो इतने वर्षों तक वादी कहां सोया था उन्हे कार्यवाही करनी चाहिए थी। सारी मनगढ़ंत एवम झूठी कहानी दर्ज की है। अब तक रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। आदि—आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी किसी भी सूरत में डिक्री योग्य नहीं है। वादी का वाद काबिल खारिज है। खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी :—

1. आया वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम हजफ करवाकर अपने नाम खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में कराने के अधिकारी है। —जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द करने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

—जिम्मेवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

3. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जेकाश्त की आराजी है। वादीगण का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। वादी कोई रिलिफ लेने का हकदार नहीं है। दावा काबिल खारिज है। — जिम्मेप्रतिवादीगण

4. दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2009—12 प्रदर्श—2, नकल इन्तकाल नंबर 360 प्रदर्श—3, नकल खसरा गिरदावरी 2022 प्रदर्श—4, नकल जमाबंदी संवत 2017 प्रदर्श—5, नकल जमाबंदी 2021 प्रदर्श—6, नकल जमाबंदी सेटलमेंट 2029 प्रदर्श—7 एवम हाल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी प्रदर्श—8,9 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरुप शपथ पत्र रामप्रसाद पी डब्ल्यू—1, जगमाल पी डब्ल्यू—2, किशोरीलाल पी डब्ल्यू—3, रतिराम पी डब्ल्यू—4 पेश किये जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक वकील वादी की जिरह साक्ष्यवादी दर्ज रिकॉर्ड की गयी। जिरह साक्ष्यवादी में स्वयं रामप्रसाद ने दर्ज कराया कि मैं नहीं बता सकता कि पैसे किस—किस के सामने दिये। मेरे दादाजी का देहान्त संवत 2031—32 में हुआ था। उस समय मेरी आयु 40 वर्ष थी तब से जोत रहे है। दावा किये हुये कितने वर्ष हो गये मुझे ज्ञात नहीं। संवत 2034 से 03.09.2008 तक हमें जोतने, बाहने में कोई परेशानी नहीं की। इससे पहले दावा पेश नहीं किया। शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे आज याद नहीं जो वकील द्वारा लिखा गया। यह कहना गलत है कि जमींन पर जयसिंह का कब्जा है, मेरा कब्जा है एवम गवाह किशोरीलाल ने जिरह साक्ष्यवादी मे बताया कि रामप्रसाद दादाजी को मैंने नहीं देखा क्योंकि हम 1974 में माजरी खोला आये है। इससे पहले हम यहां नहीं रहते थे। विवादित आराजी पदमाडा कलां में है। मुझे जानकारी नहीं थी कि वादी विवादित आराजी को कैसे जोतते है। ठीक इसी प्रकार गवाह रतिराम ने जिरह साक्ष्यवादी में बताया कि विवादित आराजी को जानता हूं। खसरा नंबर 3, 4, 5 को जानता हूं, पदमाडा कलां की आराजी है जो मेरी है। खसरा नंबर 32, 33, 34 को जानता हूं जो 1953 से काश्तकार है, 800 रुपये में रहन था। 800 रुपये वाली बात शपथ पत्र में मैंने इसलिए बतायी है कि बुजुर्गों ने कहा है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र जयसिंह डी डब्ल्यू—1, हरदानसिंह डी डब्ल्यू—2 एवम प्रमोद डी डब्ल्यू 3 पेश किये जिनकी जिरह साक्ष्य प्रतिवादी रिकॉर्ड की गयी। गवाह जयसिंह ने दौराने जिरह अभिकथन किया कि पुराने खसरा नंबर कितने है मुझे पता नहीं। देवीसिंह सन 1989 में फौत हुये। शपथ पत्र में आराजी को संवत 2009 में रहन रखना लिखा हो तो मुझे पता नहीं। शपथ पत्र मेरे वकील साहब ने लिखाया था। हमने आराजी को अब तक रहन मुक्त नहीं कराया और रहन मुक्त कराने के लिए मैंने कोई दावा नहीं किया तथा पूर्वजों ने कोई दावा किया हो [illegible] जानकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार गवाह हरदानसिंह डी डब्ल्यू 2 ने जिरह [illegible] कि मेरी उम्र 46 साल है। संवत 2009 में रहन रखी थी जिसकी जानकारी मुझे [illegible] संभाली तब से है। शपथ पत्र मैंने खुद ने लिखवाया था। आदि का अंकन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत वादीगण के वाद का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

1. आया वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है जबकि वादीगण ने अपने वादपत्र के जिमनों में देवीसिंह को घर खर्च हेतु आवश्यकता होने पर उक्त आराजी को दिनांक 29.06.1953 अर्थात संवत 2009 में वादीगण के पिता भूरिया के पक्ष में 800 रुपये में रहन रखी थी और तब से ही काबिज चला आ रहा है। आदि अंकित करते हुये रहन का इन्तकाल भी जल से आम में वादीगण के पिता भूरिया के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है और उक्त वादपत्र दिनांक 18.09.2008 को प्रस्तुत किया जाना एवम रहन दिनांक 29.06.1953 को यानी संवत 2009 में किया जाना तथा रहन के बाबत इन्तकाल संख्या 360 वाके ग्राम पदमाडा कलां भी दिनांक 29.06.1953 में रहन के बाबत दर्ज होकर स्वीकार होना जो केवल मात्र रहन रहा हैं अर्थात वादी का कब्जा नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार वादी रामप्रसाद ने अपने जिरह साक्ष्यवादी में भी संवत 2034 से दिनांक 03.09.2008 तक हमें जोतने, बोने में कोई परेशानी नहीं होना व इससे पहले दावा पेश नहीं किया जाना एवम शपथ पत्र में लिखा हुआ आज ध्यान नहीं होना, वकील द्वारा लिखाया गया होना एवम यह कहना गलत है कि जमींन पर जयसिंह का कब्जा है, मेरा कब्जा है के बाबत के अंकन को ध्यान में रखते हुये एवम वादीगण द्वारा कब्जे के बाबत का कोई भी पुख्ता रिकॉर्ड वादी के कब्जे को साबित करने के बाबत का प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय उक्त तनकी को बरखिलाफ वादीगण मानते हुये बहक प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार योग्य पाता है।
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है और जब तनकी नंबर 1 बरखिलाफ वादीगण होकर बहक प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट रूप से साबित पाये जाने की स्थिति मे वादीगण प्रतिवादी को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ वादीगण पाते हुये बहक प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार योग्य पाता है।
3. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जेकाश्त की आराजी है। वादीगण का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। वादी कोई रिलिफ लेने का हकदार नहीं है। दावा काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादी रहा है। जब तनकी संख्या 1 व 2 बरखिलाफ वादीगण पाते हुये बहक प्रतिवादी संख्या 1 पाये जाने की स्थिति में उक्त तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ वादीगण पाते हुये बहक प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार योग्य पाता है।
4. दादरसी– उपरोक्त तनकी वार विवेचन के आधार पर वादी का वाद को यह न्यायालय काबिल अस्वीकार पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर एवम वादीगण द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 32/0.25, 33/0.25, 34/0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी

के वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

3/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर, राज0

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

3/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 289/08 दायरा दिनांक :–18.09.2008 निर्णय दिनांक :– 03.03.2021

1. रामप्रसाद पुत्र दाताराम पौत्र भूरिया
2. सूरजभान पुत्र दाताराम (मृतक)
   2/1 कैलाश पुत्र सूरजभान
   2/2 फूलपति पुत्री सूरजभान
   2/3 रेशमी पुत्री सूरजभान
   2/4 विमला पुत्री सूरजभान
   2/5 सैती पुत्री सूरजभान
   2/6 संतोष पुत्री सूरजभान
   2/7 रेशमी पत्नी रघुवीर
   2/8 राजवीर पुत्र रघुवीर
   2/9 सुमन पुत्री रघुवीर
   2/10 सुशीला पुत्री रघुवीर
   2/11 बीना पुत्री रघुवीर
3. राधाकिशन (मृतक)
   3/1 बाबूलाल
   3/2 रामसिंह
   3/3 गजराज पुत्रान राधाकिशन
   3/4 चम्पा पत्नी राधाकिशन जाति अहीरान निवासीयान माजरी खोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र देवीसिह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तहसील मुण्डावा जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से **श्री महेश यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री शशिकान्त शर्मा एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 03.03.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:–**

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार [illegible] को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की [illegible] आराजी खसरा नंबर 32/0.25, 33/0.25,, 34/0.25 हैक्टेय[illegible] मुण्डावर के वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पा[illegible] की स्थिति [illegible] वादीगण खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat

Date: 2021.03.30 10:08:24 IST

Reason: SelfAttested

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखा[illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०